

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक २३३२/Others/13881/2015 अलीगढ़: दिनांक: जनवरी, 13, 2025

सेवा में,

डिवीजनल मैनेजर,  
नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सर ऑयल लि०),  
वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06 ग्यारवां तल,  
सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ०प्र०)

**विषय:-** Proposal for diversion of 0.0768 ha of forest land for construction of approach road to retail outlet located on Aligarh-Ramghat Road (MDR-105) km. Ch. 15.150 at Khasra No. 1470, village Ukhlana, Tehsil Kol, District Aligarh, Uttar Pradesh (Proposal No: FP/UP/Others/13881/2015)-regarding.

**संदर्भ:-** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली का पत्रांक-8B/UP/06/34/2018 दिनांक 16.10.2024

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत नायरा एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में एस्सर ऑयल लि०) द्वारा अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम.डी.आर.-105) किमी 16 चैनेज 15.150 पर खसरा संख्या-1470 ग्राम उखलाना, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 0.0768 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी है। उक्त पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन में निम्नानुसार धनराशि एवं शर्तों सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर, शर्तवार अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।

- शर्त सं०-1:** प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged"
- शर्त सं०-2:** प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में उल्लंघन की तिथि से 05 गुना दण्डात्मक एन.पी.वी. हेतु आवश्यक धनराशि (आगणन संलग्न) रु० 447228 (रु० चार लाख सैंतालिस हजार दौं सौ अट्ठाइस मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी एवं Online Payment Details की छायाप्रति प्रेषित की जाये।
- शर्त सं०-3:** प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाये कि "The matter regarding imposition of penal CA is under consideration for the formulation of a uniform policy guideline in the matter. Keeping this in view, the imposition of penal CA (if any) shall be as per the said guideline, if issued;"
- शर्त सं०-4:** प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाये कि "The Compensatory afforestation shall be raised by the State Forest Department as per approved scheme and as per the rules/guidelines on the matter at the cost of the user agency;"
- शर्त सं०-5:** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 100 पौधों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रु०-336000/- (एक लाख अट्ठारह हजार दौं सौ पचास मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी एवं Online Payment Details की छायाप्रति प्रेषित की जाये।
- शर्त सं०-6:** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि व माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि 9,57,780/- की दर से 73557 (रु० तेहत्तर हजार पाँच सौ सत्तावन मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी एवं Online Payment Details की छायाप्रति प्रेषित की जाये।
- शर्त सं०-7:** प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा की जायेगी।"
- शर्त सं०-8:** प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "Compensatory levies, to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/ deposited,

- through e-payment module (<https://parivesh.nic.in/>) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPAs, managed by the National Authority (CAMPAs)“
- शर्त सं०-९: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the slopes.”
- शर्त सं०-१०: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.”
- शर्त सं०-११: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के परामर्श के अनुसार परियोजना लागत पर विस्तृत मृदा संरक्षण उपाय करेगी। इस सम्बन्ध में योजना सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध करायेगी।
- शर्त सं०-१२: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost;”
- शर्त सं०-१३: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals”
- शर्त सं०-१४: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down”
- शर्त सं०-१५: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act, 1986”
- शर्त सं०-१६: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas”
- शर्त सं०-१७: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar”
- शर्त सं०-१८: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal”
- शर्त सं०-१९: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area”
- शर्त सं०-२०: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department”
- शर्त सं०-२१: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department”
- शर्त सं०-२२: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government”
- शर्त सं०-२३: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government”
- शर्त सं०-२४: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि “The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the

project work and implementation. The said R & R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC"

शर्त सं०-25:

प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly"

शर्त सं०-26:

प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife"

शर्त सं०-27:

प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project"

शर्त सं०-28:

प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2023"



(धनराज मीना)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

प्रस्तावित परियोजना का नाम-कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी चैनेज 15. 150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है० संरक्षित वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित क्षेत्र का नाम- छेरत वन ब्लाक  
रेज का नाम- अलीगढ़

एच०डी०पी०ई० आयरन सपोर्ट ट्रीगार्ड में रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- 154

| प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण- अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण |   |        |             |         |                 |
|---|---|--------|-------------|---------|-----------------|
| क्र०सं०   | कार्य का विवरण  | मात्रा | इकाई        | दरप्रति | धनराशि (रु०में) |
| 1   | 2   | 3      | 4           | 5       | 6               |
| 1.  | स्थल सफाई एवं मलवा फिकवाई व गड्ढा खुदान (0.60x 0.60x0.60 सेमी०) | 154    | प्रति गड्ढा | 23.00   | 3542            |
| 2.  | गड्ढों में गोबर की खाद  | 154    | प्रति गड्ढा | 10.42   | 1605            |
| 3.  | गड्ढों में कीटनाशक दवा कय तथा मिलाना                            | 154    | प्रति गड्ढा | 1.52    | 234             |
| 4.  | गड्ढों में गोबर की खाद मिलाकर भरना                              | 154    | प्रति गड्ढा | 1.83    | 282             |
| 5.  | पौधों का मूल्य दुलान सहित                                       | 154    | प्रति पौध   | 89.51   | 13785           |
| 6.  | पौध का स्थानीय दुलान  | 154    | प्रति पौध   | 2.85    | 439             |
| 7.  | पौधारोपण सिंचाई व थावला बनावाई                                  | 154    | प्रति पौध   | 6.44    | 992             |
| 8.  | एच०डी०पी०ई० आयरन सपोर्ट ट्रीगार्ड मय मोनोग्राम कय               | 154    | प्रति गार्ड | 1180.00 | 181720          |
| 9.  | पौधों की सिंचाई मय डीजल की कीमत आदि के (5 वार)                  | 770    | प्रति पौध   | 7.42    | 5713            |
| 11.   | पौधों की निराई गुड़ाई एवं थावला बनवाई (2 वार)                   | 308    | प्रति पौध   | 1.48    | 456             |
| 12.   | अन्य व्यय सुरक्षा आदि सहित                                      |        | लमसम        |         | 3233            |
| योग   |   |        |             |         | 212000          |

तृतीय चरण-वृक्षारोपण अनुरक्षण (प्रथम वर्ष)

|     |   |      |           |        |       |
|-----|---|------|-----------|--------|-------|
| 1   | पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून 8 वार   | 1232 | प्रति पौध | 8.04   | 9905  |
| 2   | पौधों की सिंचाई अक्टूबर से मार्च तक ( 5 वार )   | 770  | प्रति पौध | 7.35   | 5660  |
| 3   | पौधों की निराई-गुड़ाई 2 वार   | 308  | प्रति पौध | 1.48   | 456   |
| 4   | मृत पौधों की क्षतिपूर्ति (10 प्रतिशत) एवं आर०सी०सी० गार्ड में क्षतिपूर्ति (3 प्रतिशत), सुरक्षा सहित | 154  | प्रति     | 107.23 | 16513 |
| 5   | अन्य आकारिमक व्यय   |      | लमसम      |        | 2466  |
| योग |   |      |           |        | 35000 |

चतुर्थ चरण-वृक्षारोपण अनुरक्षण (द्वितीय वर्ष)

|     |  |      |           |        |       |
|-----|--|------|-----------|--------|-------|
| 1   | पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून 8 वार    | 1232 | प्रति पौध | 8.04   | 9905  |
| 2   | पौधों की निराई-गुड़ाई 2 वार            | 308  | प्रति पौध | 1.48   | 456   |
| 3   | रासायनिक उर्वरक                        | 154  | एक वार    | 0.17   | 26    |
| 4   | आयरन गार्ड में क्षतिपूर्ति (2 प्रतिशत) | 5    | प्रति     | 48.06  | 240   |
| 5   | सुरक्षा श्रमिक 3125 आयरन गार्ड पर एक   | 16   | प्रतिदिन  | 230.00 | 3680  |
| 6   | अन्य आकारिमक व्यय                      |      | लमसम      |        | 1692  |
| योग |  |      |           |        | 16000 |

पंचम चरण-वृक्षारोपण अनुरक्षण (तृतीय वर्ष)

|     |  |     |           |        |      |
|-----|--|-----|-----------|--------|------|
| 1   | पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून 3 वार  | 462 | प्रति पौध | 8.04   | 3714 |
| 2   | पौधों की निराई-गुड़ाई 1 वार  | 154 | प्रति पौध | 1.29   | 199  |
| 3   | क्षेत्रीय वन अधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार प्रूनिंग/छटाई (30 प्रतिशत अधिकतम) | 46  | प्रति पौध | 1.90   | 87   |
| 4   | प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव  | 154 | प्रति पौध | 1.06   | 163  |
| 5   | सुरक्षा श्रमिक 3125 आयरन गार्ड पर एक   | 16  | प्रतिदिन  | 230.00 | 3680 |
| 6   | अन्य आकारिमक व्यय  |     | लमसम      |        | 1156 |
| योग |  |     |           |        | 9000 |

षष्ठम चरण-वृक्षारोपण अनुरक्षण (चतुर्थ वर्ष)

|     |   |     |           |        |      |
|-----|---|-----|-----------|--------|------|
| 1   | प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव | 154 | प्रति पौध | 1.06   | 163  |
| 2   | सुरक्षा श्रमिक 6250 आयरन गार्ड पर एक  | 16  | प्रतिदिन  | 230.00 | 3680 |
| 3   | अन्य आकारिमक व्यय   |     | लमसम      |        | 1157 |
| योग |   |     |           |        | 5000 |

| साप्तम चरण-वृक्षारोपण अनुरक्षण (पंचम वर्ष)    |  |     |           |        |      |
|---|--|-----|-----------|--------|------|
| 1   | प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव | 154 | प्रति पौध | 1.06   | 163  |
| 2   | सुरक्षा श्रमिक 6250 आयसन गार्ड पर एक   | 16  | प्रतिदिन  | 230.00 | 3680 |
| 3   | अन्य आकारिक व्यय   |     | लमसम      |        | 1157 |
| योग   |  |     |           |        | 5000 |
| पंचम चरण-वृक्षारोपण अनुरक्षण (षष्ठम वर्ष)     |  |     |           |        |      |
| 1   | प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव | 154 | प्रति पौध | 1.06   | 163  |
| 2   | सुरक्षा श्रमिक 6250 आयसन गार्ड पर एक   | 16  | प्रतिदिन  | 230.00 | 3680 |
| 3   | अन्य आकारिक व्यय   |     | लमसम      |        | 1157 |
| योग   |  |     |           |        | 5000 |
| अष्टम चरण-वृक्षारोपण अनुरक्षण (साप्तम वर्ष)   |  |     |           |        |      |
| 1   | प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव | 154 | प्रति पौध | 1.06   | 163  |
| 2   | सुरक्षा श्रमिक 6250 आयसन गार्ड पर एक   | 16  | प्रतिदिन  | 230.00 | 3680 |
| 3   | अन्य आकारिक व्यय   |     | लमसम      |        | 1157 |
| योग   |  |     |           |        | 5000 |
| नवां चरण-वृक्षारोपण अनुरक्षण (अष्टम वर्ष)     |  |     |           |        |      |
| 1   | प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव | 154 | प्रति पौध | 1.06   | 163  |
| 2   | सुरक्षा श्रमिक 6250 आयसन गार्ड पर एक   | 8   | प्रतिदिन  | 230.00 | 1840 |
| 3   | अन्य आकारिक व्यय   |     | लमसम      |        | 997  |
| योग   |  |     |           |        | 3000 |
| दसवां चरण-वृक्षारोपण अनुरक्षण (नवम वर्ष)      |  |     |           |        |      |
| 1   | प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव | 154 | प्रति पौध | 1.06   | 163  |
| 2   | अन्य आकारिक व्यय   |     | लमसम      |        | 337  |
| योग   |  |     |           |        | 500  |
| ग्यारवां चरण-वृक्षारोपण अनुरक्षण (दसवां वर्ष) |  |     |           |        |      |
| 1   | प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव | 154 | प्रति पौध | 1.06   | 163  |
| 2   | अन्य आकारिक व्यय   |     | लमसम      |        | 338  |
| योग   |  |     |           |        | 501  |

| सारांश:-                                  | योग    | 10% मंहगाई दर के आधार पर गुणांक | प्रयोक्ता एजेसी से वांछित धनराशि |
|---|--------|---------------------------------|----------------------------------|
| प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य सह वृक्षारोपण | 212000 | 1                               | 212000                           |
| तृतीय चरण रख-रखाव प्रथम वर्ष अनुरक्षण-    | 35000  | 1.21                            | 42350                            |
| चतुर्थ चरण रख-रखाव द्वितीय वर्ष अनुरक्षण- | 16000  | 1.331                           | 21295                            |
| पंचम चरण रख-रखाव तृतीय वर्ष अनुरक्षण-     | 9000   | 1.4641                          | 13177                            |
| छठा चरण रख-रखाव चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण-     | 5000   | 1.61050                         | 8053                             |
| सातवा चरण रख-रखाव पंचम वर्ष अनुरक्षण-     | 5000   | 1.7716                          | 8858                             |
| आठवा चरण रख-रखाव छठम वर्ष अनुरक्षण-       | 5000   | 1.9488                          | 9744                             |
| नवा चरण रख-रखाव सातवा वर्ष अनुरक्षण-      | 5000   | 2.1437                          | 10719                            |
| दसवा चरण रख-रखाव आठवा वर्ष अनुरक्षण-      | 3000   | 2.3581                          | 7075                             |
| ग्यारवा चरण रख-रखाव नवा वर्ष अनुरक्षण-    | 500    | 2.5939                          | 1298                             |
| बारहवां चरण रख-रखाव दसवा वर्ष अनुरक्षण-   | 501    | 2.8533                          | 1430                             |
| योग:-                                     |        |                                 | 336000                           |
| कुल अनुमानित व्यय                         |        |                                 | 336000                           |

  
 प्रभागीय निदेशक,  
 सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
 अलीगढ़।

## वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में Penalty की गणना

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांधी पटरी पर ग्राम उखलाना के खसरा संख्या-1470 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.0768 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार निम्न प्रकार Penalty का प्राविधान किया गया है।

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

i- The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii- In case of public utility projects of the government, penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.

|  |               |
|--|---------------|
| 1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन.पी.वी.-प्रभावित वन भूमि (0.0768) × 9,57,780    | = 73,557.00   |
| 2. प्रस्ताव के प्रक्रिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण - 5 × 73,557 | = 3,67,785.00 |
| 3. 12 प्रतिशत Simple Interest = 3,67,785 × 12%                                       | = 44,134.00   |
| 4. पांच वर्ष की एन.पी.वी. पर एक वर्ष का ब्याज (44134/5)                              | = 8,827.00    |
| 5. सात वर्ष की एन.पी.वी. का ब्याज (8827 × 9) (दिनांक 31.03.2016 से उल्लंघन के कारण)  | = 79,443.00   |
| 6. पांच वर्ष की एन.पी.वी. आठ वर्ष की एन0पी0वी0 का ब्याज (367785 + 79443)             | = 4,47,228.00 |

Dix  
(धनराज मीना)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।